न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 43 / 2025	2025 / 168	11.03.2025	06.08.2025

1– रणजीतसिह पुत्र मानसिंह जाति रायसिंह निवासी ग्राम राताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 21.05.1997 नामान्तकरण संख्या 147 वाके ग्राम राताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित

01. श्री रामावतार कपूर — वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 147 वाके ग्राम राताखुर्द तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 21.05.1997 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 266 जिसका हाल खसरा न0 216 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम राताखुर्द तहसील किशनगढबास में स्थित है। विवादित आराजी का मुख्त्यार भुगडामल पुत्र नवलमल जाति खत्री निवासी राताखुर्द तहसील किशनगढबास था, जिसके द्वारा आराजी में से रकबा 19 बिस्वा आराजी मिन अपीलान्ट ने पूर्व खातेदारान का बतौर मुख्त्यारआम के जर्ये रजिस्ट्रड बयनामा तहरीर दिनाक 26.05.1980 जर्ये पंजीबद्व दिनाक 29.05.1980 को पुस्तक संख्या 21 पृष्ट संख्या 287–288 कम संख्या 921 पर पंजीबद्व किया गया। दिनाक 19.05.1981 को पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 147 दिनाक 21.05.1997 को बिना अपीलान्ट को सुने तहत अदालत ने खारिज कर दिया गया। निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को कोई सूचना किसी प्रकार की दी गयी और न ही अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूंव में नही थी, मिन अपीलान्ट दूर दराज का होने के कारण जानकारी नही हो सकी, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.05.1997 की जानकारी जैसी ही हुई तो दिनाक 10.02.2025 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर नकल दिनाक 10.02.2025 को प्राप्त हुई। जिस पर कानूनी मशवरा प्राप्त कर बिना देरी किये गये अपील पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि दिनाक 21.05.1997 से दिनाक 14.02.2025 की अवधि को कन्डोन किये जानें योग्य है। अपील अपीलान्ट अन्दरी मिमाद शुमार ग्रहण कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक नामान्तकरण संख्या 147 वाके ग्राम राताखुर्द तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 21.05.1997 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.05.1997 की जानकारी अपीलान्ट

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.)

को पूर्व में नही थी। अपीलान्ट दूर दराज का होने के कारण जानकारी नही हो सकी सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.02.2025 को होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील करीब 27 वर्ष, 8 माह, 20 दिन पश्चात अत्याधिक विलम्ब से न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। जबकि विलम्ब के मामलो में विलम्ब का कारण दिन–प्रतिदिन के हिसाब से बताना कानूनन आवश्यक होता है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया है। जिससे अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद माना जा सके। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बकील अपीलान्टान द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 21.02.2025 पेश की गयी है। जो करीब 27 वर्ष, 8 माह, 20 दिन अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.05.1997 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.02.2025 को होना दर्शाया गया है। अपीलान्ट ने अपीलान्ट की इस दलील से सहमत नही की तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.05.1997 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी। पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सदैव से अर्थात बयनामा कराये जाने की दिनाक से रही है। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा यह अपील जानबुझ कर विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन प्रतिदिन का ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके अभाव में पर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.05.1997 नामान्तकरण संख्या 147 वाके ग्राम राताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)